भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 24
उत्तर देने की तारीख – 01/12/2025

विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी

†24. **श्री बिष्णु पद रायः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लगभग पचास प्रतिशत सरकारी विद्यालय प्रधानाचार्यों, उप-प्रधानाचार्यों या प्रधानाध्यापकों के बिना चल रहे हैं, और कई विद्यालय लंबे समय से लंबित रिक्तियों के कारण शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव के बावजूद इन स्वीकृत पदों को न भरने के कारणों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनप्रतिनिधियों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है और तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इस मुद्दे को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाए हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो लंबे समय से लंबित इन रिक्तियों को भरने और द्वीप समूह के सभी सरकारी विद्यालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा निदेशालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2023 और 2024 के दौरान भर्ती अभियान चलाया और स्कूलों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए 988 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरा है।

चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची विषय है, देश में अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के रिक्त पद सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति के कारण उत्पन्न होते हैं और नए विषयों के उन्नयन/स्वीकृति के साथ-साथ छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न होती है। इन रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त कदम उठा रहा है।

*****